संख्याः 02 / XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

उप निदेशक,
एन0सी0सी0 निदेशालय,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरॉचल।
अशोक मार्ग, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 17 जनवरी 2005 ~~दिसम्बर, 2004~~

विषयः राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 102/02/यू0ए0 / 2004-05 / 2958/ वित्त दिनॉक 20-12-2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में सलग्न बी.एम. -15 में उल्लिखित विवरणानुसार राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रू0 46.60 लाख (रू0 छियालिस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

4- आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या– 11 के अधीन लेखा शीर्षक " 2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर –80 – सामान्य–800– अन्य व्यय–04–राष्ट्रीय सेना छात्र दल के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित संबंधित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 372/वि0अ0/04/05 दिनॉक 13-1-2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्या: 02 (1)/ XXIV-2/2004 /2005 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: –

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, पटेलनगर, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरॉचल ।
5– शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
6– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) ।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त संसाधन विकास विभाग
संख्याः 372/वि0अनु0–4/2004
देहरादून दिनॉक 13- दिसम्बर,2004

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

13/12/2004

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

सेवा में,
उप महानिदेशक,
राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल
अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 02 (2)/XXIV-2/2004/तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–4।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

प्रपत्र–बी०एम०–15

नियंत्रक अधिकारी   अपर मुख्य सचिव   (पैरा–156)   प्रशासकीय एन.सी.सी. निदेशालय

वित्तीय वर्ष– 2004–05   अनुदान संख्या–11   (धनराशि हजार रूपये में) आयोजनेतर

प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1मे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202–सामान्य शिक्षा– 02–माध्यमिक शिक्षा– 800– अन्य व्यय– 03–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता –5000	263	–	4737	2202–सामान्य शिक्षा– 80– सामान्य– 800–अन्य व्यय– 04–राष्ट्रीय सेना छात्र दल 09–विद्युत व्यय– 100 17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व–400 42–अन्य–10000	130 721 14309	340	
सम्पूर्ण योग– 5000	263		4737	10500	15160	340	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राजेन्द सिंह)
उप सचिव